लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 10 मार्च – चण्डीगढ़ के जिला मैजिस्ट्रेट श्री ब्रिजेंद्र सिंह ने नियोक्ताओं और अन्य शहरवासियों को मामूली कार्यों के लिए कांट्रेक्ट के आधार पर दैनिक मजदूरी पर रखे जाने वाले श्रमिकों का ब्यौरा संबन्धित थानाध्यक्ष के पास जमा कराने का निर्देश दिया है।

आदेश उन अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जारी किया गया है जो रिक्शा, रेहड़ी व ऑटोरिक्शा चलाने अथवा धोबी, मोची जैसे कार्यों अथवा सेवाओं में लगे रहते हैं। वास्तव में इस तरह की गतिविधियों में खुद को संलिप्त कर वह अपनी पहचान छुपाने में सक्षम हो जाते हैं और इस तरह से सामाजिक शांति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का पालन न करने वाले लोगों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जायेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 9 मई, 2010 तक प्रभावी रहेगा।